पत्रांक : 2P/RGSA-20/Fund-10 /2025 /09 स्वी०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 02/5/2025

विषय : **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित) योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के आलोक में केन्द्रांश मद की ₹25,00,00,000.00 (पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की ₹15,19,00,000.00 (पंद्रह करोड़ उन्नीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹40,19,00,000.00 (चालीस करोड़ उन्नीस लाख रूपये) मात्र राशि की निकासी की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित)" नाम से अनुमोदित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया है। इस योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकेन्द्रीकृत संस्था के रूप में पंचायतों की क्षमता विकसित करने एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना केन्द्र प्रायोजित है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 है।

2. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-11011/6/2025-CB दिनांक 20.04.2025 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025–26) के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में कुल ₹25,00,00,000.00 (पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र राशि विमुक्त की गयी है, जिसके आलोक में राज्यांश मद की राशि ₹16,66,67,000.00 (सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र विमुक्त की जानी है।

3. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केन्द्रांश के रूप में कुल ₹3,14,92,00,000.00 (तीन अरब चौदह करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र तथा राज्यांश के रूप में ₹15,50,00,000.00 (पंद्रह करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र राशि की राशि का बजट प्रावधान है।

4. उक्त आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित) योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के आलोक में केन्द्रांश मद की ₹25,00,00,000.00 (पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की ₹15,19,00,000.00 (पंद्रह करोड़ उन्नीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹40,19,00,000.00 (चालीस करोड़ उन्नीस लाख रूपये) मात्र राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण की जायेगी :–

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	राशि (रूपये में)
	केन्द्रांश		
i)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515001980215	0215–31–04	4,00,00,000.00
		0215–31–05	4,36,02,000.00
		0215–31–06	5,00,00,000.00
	Total (A)		**13,36,02,000.00**
ii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष– 0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515007890214	0214–31–04	3,00,00,000.00
		0214–31–05	63,98,000.00
		0214–31–06	8,00,00,000.00
	Total (B)		**11,63,98,000.00**
	Total (A+B)		**25,00,00,000.00**
	राज्यांश		
iii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उप शीर्ष–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए)। विपत्र कोड– 16–2515001980315	0315–31–04	3,62,70,000.00
		0315–31–05	3,62,70,000.00
		0315–31–06	4,83,60,000.00
	Total (C)		**12,09,00,000.00**
iv)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515007890314	0314–31–04	93,00,000.00
		0314–31–05	93,00,000.00
		0314–31–06	1,24,00,000.00
	Total (D)		**3,10,00,000.00**
	Total (C+D)		**15,19,00,000.00**
	Grand Total (A+B+C+D)		**40,19,00,000.00**

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में राशि की विमुक्ति के आलोक में राज्यांश मद में अवशेष विमुक्त की जाने वाली ₹16,66,67,000.00

– ₹15,19,00,000.00 = **₹1,47,67,000.00** **(एक करोड़ सैंतालीस लाख सड़सठ हजार रूपये)** मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्रावधान करा कर विमुक्त की जा सकेगी।

6. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना अंतर्गत Single Nodal Agency के विभागीय खाता संख्या 37804658816, IFSC-SBIN0006917 (भारतीय स्टेट बैंक, राज भवन, पटना) में अंतरित करेंगे।

7. इस स्वीकृत राशि का व्यय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025–26) के तहत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की गठित Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित इकाईयों अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों में किया जायेगा। इसके अंतर्गत राशि के व्यय के संबंध में अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

8. Single Nodal Agency के विभागीय खाता से अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना निदेशक राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना, सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जो आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

10. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग की सहमति संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या ..05.. /टि० पर दिनांक 22/04/25.. को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या ..06.. /टि० पर दिनांक 02/5/25. को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या ..06... /टि० पर दिनांक 30/04/25को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /09 (स्वी०)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 02/5/2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /09 (स्वी०)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 02/5/2025

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /09 (स्वी०)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 02/5/2025

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /09 (स्वी०)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 02/5/2025

प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, राज भवन, पटना को (ईमेल–sbi.06917@sbi.co.in) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /09 (स्वी०)/ पं०रा०, पटना, दिनांक 02/5/2025

प्रतिलिपि : उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं 6/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

2/5/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव